

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- पांवेड़ा

प्रकरण संख्या:- 250/25

दिनांक:- 3/10/2025

उनवान

श्री अपरंगाला दुग
जगाराज कलाल

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सैलमन टैस्तावेज, पटवारी हल्का पांवेड़ा भू. अ. नि. पांवेड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांवेड़ा प0 ह0 पांवेड़ा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 246 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम अशुद्ध	<u>अपरंगाला दुग</u> <u>जगाराज</u>	<u>अपरंगाला दुग</u> <u>जगाराज (शेठ</u> <u>कृष्ण कृष्ण</u> <u>कलाल)</u>

Vom
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर मालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री अपरंगाला दुग जगाराज कलाल ।

Vom
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

